

12/8/2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय अनुपस्थित।


पार्थीगण व पार्थीगण वकील को उपस्थित

हेतु बार-बार, रुक-रुक कर आवाज

भगवार्थ गयी किन्तु पार्थीगण व पार्थीगण

वकील उपस्थित नहीं हुए।

भ्रतः प्रार्थीगण का प्रस्तुत वाद अन्तर्गत  
 धारा आदेश 9 नियम 4 सी पी सी  
 अदम हाजरी व अदम कैरवी में खारिज  
 किया जाता है। पत्रावली फ़ैशल शुमार  
 होकर दाखिल दफ्तर हो व नम्बर से  
 कम हो।

  
 सहायक कलक्टर  
 एवं उप खण्ड अधिकारी  
 दिल्ली